अनुदान संख्या 46 – गृह मंत्रालय
GRANT No. 46 - MINISTRY OF HOME AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*3,00*	..	*-3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,00*
स्वीकृत–	Voted-		7749,49,00	3585,39,88	-4164,09,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4105,80,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
मूल	Original	252,48,00	283,33,00	275,28,38	-8,04,62
पूरक	Supplementary	30,85,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,62,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹3.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित किया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹3.00 lakhs* remained wholly unutilized under two heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय– सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat- General Services				
मू.	O.	46714.00	44150.00	43313.83	-836.17
पु.	R.	-2564.00			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	20415.00	18759.00	17569.13	-1189.87
पु.	R.	-1656.00			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	84243.00	76902.00	76434.47	-467.53
पु.	R.	-7341.00			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	112661.00	111768.00	109588.01	-2179.99
पु.	R.	-893.00			
मुख्य शीर्ष "2252" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2252" North Eastern Areas				
मू.	O.	19500.00	..	..	..
पु.	R.	-19500.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागरिक विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	10000.00	7250.00	7250.00	..
पु.	R.	-2750.00			
मुख्य शीर्ष "3454"	Major Head "3454"				
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	427800.00	64799.00	63728.53	-1070.47
पु.	R.	-363001.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	51920.00	40457.00	40454.38	-2.62
पु.	R.	-11463.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	1373.00	100.00	100.00	..
पु.	R.	-1273.00			

(I) ₹22829.00 लाख का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹22000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹22829.00 lakhs remained wholly unutilized under eighteen heads of these ₹22000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त रेलवे पास" – ₹1500.00 लाख रेल मंत्रालय से दावे प्राप्त न होने के कारण।

(A) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Free Railway Passes to Freedom Fighters" - ₹1500.00 lakhs due to non-receipt of claims from Ministry of Railways.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "जनगणना – निदेशन और प्रशासन – भारत के महारजिस्ट्रार" – ₹19500.00 – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।

(B) Major Head "2552" - "Census - Direction and Administration - Registrar General of India" - ₹19500.00 lakhs due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान विशेष सहायता – अन्य प्रशासनिक अनुदान" – ₹1000.00 लाख – जम्मू एवं कश्मीर से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(C) Major Head "3602" - "Other Transfer/ Grants to Union Territory Governments with Legislature - Special Assistance - Other Administrative Grants" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Jammu and Kashmir.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – गृह मंत्रालय" – ₹2762.75 लाख की बचत (₹43061.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कोविड–19 महामारी के कारण यात्रा पर प्रतिबंध होने तथा आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Home Affairs" - saving of ₹2762.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43061.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less receipt of proposals, restriction on travel and disruption in supply chains owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "राजभाषा" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2070" - "Official Language" - savings occurred under the following heads :-

(का) "केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण" – ₹685.28 लाख की बचत (₹3971.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Teaching Hindi to Central Government Employees" - saving of ₹685.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3971.00 lakhs); and

(खा) "अन्य स्कीमें" – ₹877.72 लाख की बचत (₹2716.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Other Schemes" - saving of ₹877.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2716.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to freezing of dearness allowance, restriction on travel and disruption in supply chains owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना" के अंतर्गत – ₹9968.18 लाख की बचत (₹76000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Swatantrata Sainik Samman Yojna" - saving of ₹9968.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76000.00 lakhs) was due to decrease in number of pensionary beneficiaries.

(V) मुख्य शीर्ष "2245" – "सामान्य – प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईः–

(V) Under Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency plans in disaster prone areas" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय आपदा मोचन बल" – ₹1892.19 लाख की बचत (₹97119.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, यात्रा पर आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने के कारण हुई।

(A) "National Disaster Response Force" - saving of ₹1892.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹97119.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-filling up of vacant posts, restriction on travel and disruption in supply chains owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम निवारण परियोजना" – ₹2078.63 लाख की बचत (₹2627.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम व्यावसायिक लिए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने के कारण हुई।

(B) "National Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance" - saving of ₹2078.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2627.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, hiring of less professionals, restriction on travel and disruption in supply chains owing to COVID-19 pandemic.

(VI) मुख्य शीर्ष "3053" – "हवाई सेवाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्कीमें – पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए भुगतान" के अंतर्गत ₹2750.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों में हेलिकॉप्टरों के उड़ान घंटे कम होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3053" - "Air Services - Schemes for NE Region - Payment for Helicopter Services in North Eastern Region" - saving of ₹2750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to less flying hours of helicopters in North Eastern states.

(VII) मुख्य शीर्ष "3454" – "जनगणना निदेशन एवं प्रशासन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VII) Under Major Head "3454" - "Census - Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अधीक्षण" – ₹4173.52 लाख की बचत (₹31800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दावे प्राप्त होने और कोविड–19 महामारी के फैलने को रोकने के लिए किए गए उपायों की वजह से जनगणना से

(A) "Superintendence" - saving of ₹4173.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and non-undertaking of

संबंधित निर्धारित कार्यकलापों न किए जाने के कारण हुई।

scheduled activities related to Census owing to measures taken to contain the spread of COVID-19 pandemic.

(खा) "परिगणना" – ₹352128.20 लाख की बचत (₹382500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Enumeration" - saving of ₹352128.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹382500.00 lakhs); and

(गा) "प्रकाशन" – ₹8782.05 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Publications" - saving of ₹8782.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के फैलने को रोकने के लिए किए गए उपायों की वजह से जनगणना से संबंधित निर्धारित कार्यकलाप न किए जाने की वजह से हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-undertaking of scheduled activities related to census owing to measures taken to contain the spread of COVID-19 pandemic.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(VIII) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य प्रशासनिक अनुदान" – ₹2472.59 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अधिकरणों का आयोजन न किए जाने की वजह से हुई।

(A) "Other Administration Grants" - saving of ₹2472.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-holding of tribunals owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "आपदा तैयारी" – ₹20556.03 लाख की बचत (₹29600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण राज्य सरकारों द्वारा परियोजना कार्यों की धीमी गति होने के कारण हुई।

(B) "Disaster Preparedness" - saving of ₹20556.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29600.00 lakhs) was due to slow progress of project works by the State Governments owing to COVID-19 pandemic.

(IX) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1749.17 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 80 प्रतिशत थीं।

(IX) Under four heads savings of ₹1749.17 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent to 80 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलितः–

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2070" – "अन्य व्यय – अन्य विविध मदें" – ₹1182.19 लाख का अधिक व्यय (₹705.00 लाख के

(I) Major Head "2070" - "Other Expenditure - Other Miscellaneous items" - excess of ₹1182.19

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केवादिया, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस – 2020 के आयोजन के लिए गुजरात राज्य सरकार के लंबित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹705.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills of State Government of Gujarat for organizing Rashtriya Ekta Diwas, 2020 at the statue of Unity, Kevadiya Gujarat.

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "पुनर्वास – भारत – पाकिस्तान युद्ध 1971 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास – पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा छम्ब नियाबात क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति" – ₹4194.93 का अधिक व्यय (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर स्कीम के लाभार्थियों के लंबित दावों तथा किए गए वितरण के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Major Head "2235" - "Rehabilitation - Relief and Rehabilitation of Persons affected by Indo-Pak Conflict, 1971- Displaced persons from PAK occupied Kashmir & Chhamb Niabat Area" - excess of ₹4194.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending claims and disbursement made to beneficiaries of Pak occupied Jammu and Kashmir Scheme.

(III) मुख्य शीर्ष "2245" – "सामान्य – प्राकृतिक आपदा प्रबंधन – आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजना – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹980.55 लाख का अधिक व्यय (₹547.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सोसाइटी हेतु अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना के कारण हुआ।

(III) Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency plans in disaster prone areas - National Disaster Management Programme" - excess of ₹980.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹547.00 lakhs) was due to establishment of International Coalition for Disaster Resiliant Infrastructures Society (CDRIS).

(IV) मुख्य शीर्ष "3454" – "जनगणना – निदेशन और प्रशासन – महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार" – ₹896. 30 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण यूनिटों में अंशकालिक प्रगणों को मानदेय की दर में वृद्धि के कारण हुआ।

(IV) Major Head "3454" - "Census - Direction and Administration -Improvements in Vital Statistics Systems" - excess of ₹896.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to increase in the rate of honorarium to part time eneumerators in rural units.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता" –

(V) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance" -

(का) "होम गार्ड और सिविल डिफेंस" – ₹5732.00 लाख का अधिक व्यय (₹3301.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा होम गार्डस के लंवित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) "Home Guards and Civil Defence" - excess of ₹5732.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3301.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending claims of Home Guards by states.

(खा) "राहत और पुनर्वास अनुदान" – ₹5831.00 लाख का अधिक व्यय (₹14169.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीआरयू अप्रवासियों की देखरेख के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा और पुनर्वास पैकेज के वितरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) "Relief and Rehabilitation Grants" - excess of ₹5831.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14169.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Government of Tripura for maintenance of BRU migrants and disbursal of rehabilitation package.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹804.62 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹3085.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹804.62 lakhs) constituted 26 percent of the supplementary grants of ₹3085.00 lakhs obtained in February, 2021 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4270"	Major Head "4270"				
अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other Administrative Service				
मू.	O.	9242.00	6772.00	6704.75	-67.25
पु.	R.	-2470.00			
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	12006.00	18379.00	18303.33	-75.67
पू.	S.	3085.00			
पु.	R.	3288.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	2500.00	1100.00	1099.99	-0.01
पु.	R.	-1400.00			

(I) ₹5.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹5.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय – गृह मंत्रालय" – ₹2149.89 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रस्तावों का कार्यान्वयन नहीं होने की कारण हुई।

(II) Under Major Head "4070" - " Direction and Administration - Secretariat- Ministry of Home Affairs" - saving of ₹2149.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-implementation of proposals owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "5475" – "जनगणना – आरजीआई – भवन का निर्माण" – ₹1400.01 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5475" - "Census - Construction of Building of RGI" - saving of ₹1400.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4250" – "प्राकृतिक आपदाएं" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

(5) The above savings were partly offset by excess under Major Head "4250" - "Natural Calamities" - under the following heads:-

(I) "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान" – ₹737.82 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान की तुलना में) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों के कारण रोहिणी कैंपस के निर्माण के लिए परियोजना को पूरी करने में विलंब के कारण हुआ।

(I) "National Institute of Disaster Management" - excess of ₹737.82 lakhs (against the supplementary provision of ₹1.00 lakh) was due to delay in completion of project for construction of Rohini campus owing to NGT directives.

(II) "राष्ट्रीय आपदा मोचन बल" – ₹1907.81 लाख का अधिक व्यय (₹3083.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹15035.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बल के अंतर्गत अलग–अलग बटालियनों के अंतिम बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(III) "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान – आंध्र प्रदेश" – ₹612.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आंध्र प्रदेश में एनआईडीएम कैंपस के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) "National Disaster Response Force" - excess of ₹1907.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15035.00 lakhs including supplementary grant of ₹3083.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of final bills from different battalions under the force.

(III) "National Institute of Disaster Management - Andhra Pradesh" - excess of ₹612.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹1.00 lakh) was due to requirement of additional funds for construction of NIDM campus at Andhra Pradesh.